न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान दौलतराम बनाम गो.दां

किस्म मुकदमा धारा-223 अपील संख्या 2020/00098

अभिभाषक अपीलान्ट श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री महेश प्रकाश गौतम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12-3-2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद द्वारा कार्य स्थगित होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 07-5-2025 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
7.5.25	पत्रावली पेश हुई अभि. अपीलांट अनुपस्थित। अभि. रेस्पो. उपस्थित। अभि. अपीलांट को बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता पत्रावली दिनांक 9.7.25 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	9/7/25
9.7.25	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट जण एवं उनके अभिभाषक को रुक-रुक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभि. रेस्पोडेंट उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली [illegible] पत्र आदेश। नियम 10 की बहस में [illegible] हो इस हेतु अभि. अपीलांट को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदम पैरवी भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

CPC

7/10/2020
21/10/2020
11/11/2020

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा कैम्प बारां जिला बारां राज०

==

(1) दौलतराम आयु 66 साल पुत्र फुन्दीलाल

(2) कन्हैयालाल आयु 50 साल पुत्र रामचन्द्र

(3) शिब्बु आयु 45 साल पुत्र मोहनलाल

(4) गनलाल पुजारी 55 साल पुत्र देवलाल

(5) उम्मेदसिंह आयु 35साल पुत्र रघुवर

(6) कोमल आयु 50 साल पुत्रदेवीलाल

(7) सीतारामआयु 48 साल पुत्र प्रभुलाल

(8) जंगलिया आयु 60 साल पुत्र गेंदा

(9) घनश्याम आयु 55 साल पुत्र नत्थु

(10) जगदीश आयु 30 साल पुत्र बाबुलाल

(11) नारान आयु 40 साल पुत्र गेंदा

जाति सहरिया निवासीगण खटका तहसील शाहबाद जिला बारां राज०

-- अपीलान्टस

बनाम

(1) गोदा पुत्र किशोरा आयु 65 साल जाति जाटव निवासी खटका तह. शाहबादजिला बारां

(2) राज० सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां राज०

-- रेस्पोंडेंटस

{2}

एवं डिक्री

अपील बनाराजगी निर्णय/दिनांक 25-6-2019

न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय, शाहबाद

बउनवबान गोदा बनाम राज0राज्य वाद सं. 21/15

वाद अंतर्गत धारा 88,89,90,91,92ए-188 आर. टीए.

==

महोदय,

~~अपीलार्थी~~ / अपीलाण्ट निम्न आधारो पर अपील पेश कर निम्न निवेदन करते है:-

{1} यहकि अधी. न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानुन व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2 यहकि रेस्पो0क्र01 द्वारा दिनांक 16-11-1975 को भू आवंटन समिति द्वारा ग्राम कमलावदा पटवारहल्का बटका तह. शाहबाद की सिवायचक आराजी खसरानंबर 14 मे से रकबा 15बी0 आवंटन होना बताकर उक्त आवंटन के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही गयी । रेस्पो0क्र01 व 2 के मध्य दुरभि संधि थी इस कारण रेस्पो0क्र01 द्वारा छिपाऐ गये तथ्यो को रेस्पो0क्र02 द्वारा पत्रावली मे प्रकट नही किया उक्त आवंटन के पूर्व आवंटन के समय अथवा आवंटन के समयसे वर्तमान तक कभी भी रेस्पो0क्र01 का कब्जा काश्त नही रहा उक्त कब्जा काश्त नही होने के आधार पर आवंटन स्वतः ही प्रभावशुन्य व निरस्त हो चुका था। उक्त कारण से ही आवंटन के 40 वर्ष तक उक्त आवंटन पत्र का वादी0 द्वारा कही प्रयोग नही किया कोई अधिकार क्लेम नही किया गया है। तथाकथित आवंटन के पश्चात रेस्पो0क्र1 को कभी दखलनही